न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 175/2018 (225 आरटीए) चुनाराम वगै. बनाम मूलाराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00380)

1 चूनाराम,
2 भोमाराम,
3 मूलाराम पुत्रगण श्री लादाराम सभी जातियान मेघवाल निवासीगण ग्राम नथासर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

..... अपीलांटस्

बनाम

1 मूलाराम पुत्र श्री उमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम नथासर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर हाल निवास लक्ष्मीनगर, बनाड़ रोड़ जोधपुर।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ़।
3 गोविंदराम पुत्र श्री लादाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम नथासर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ दिनांक 09.05.2018 व 30.05.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 16/2017

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदिसंह बांवरला।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता भवानीसिंह भलासरिया।
3 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।
रेस्पो. सं. 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश भादू

निर्णय

दिनांक : 31.12.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 16/2017 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2018 व 30.05.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के लिए अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम भी पेश किया गया।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक

कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 16/2017 पेश किया कि रेस्पोडेंट सं. 1/प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 747 रकबा 2 बीघा व खसरा नं. 746 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा ग्राम नाथासर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में आई हुई है एवं अपीलांट व रेस्पो. सं. 3 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 776 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा ग्राम नाथासर तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर में आई हुई है। खेत खसरा नं. 776 में से चल रहे रास्ते को कटाणी रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। रेस्पो. सं. 1 मुख्य सड़क मार्ग से अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 747 व 748 में आने जाने हेतु अपीलांट व रेस्पोडेंट के खेत खसरा नं. 776 में से आना जाना पड़ता है। यह लोग आने जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। परेशान करते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं इस कारण रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली तारीख हेतु नियत थी। अपीलांट की तामील हुए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.09.2017 को मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत तहसील शेरगढ़ को तहरीर जारी करने का आदेश पारित कर दिया जिस पर हल्का पटवारी ने अपीलांट की अनुपस्थिति में ही मौका रिपोर्ट को रेस्पो. सं. 1 के द्वारा कहे अनुसार तैयार की गई। दिनांक 09.05.2018 को अपीलांट को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उपस्थित होने बाबत ही आदेशिका में हस्ताक्षर किये तथा अधीनस्थ न्यायालय में पेशकार के कहने पर अपीलांट ने हस्ताक्षर किए फिर पेशकार ने कहा कि उक्त प्रकरण की तारीख पेशी आईंदा पता कर लेवें। अपीलांट ने तो पेशकार के कहने पर एवं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत ही आदेशिका में हस्ताक्षर किये परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध तरीके एवं मनमर्जी से अपीलांट की सहमति बताते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 व 30.05.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेदिसंह बांवरला ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय विधि विधान संचिका अभिलेख न्याय एवं कानून के विपरीत मनमाना होने के कारण निरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली अपीलांट की तामील हेतु विचाराधीन थी, अपीलांट की

तामील हुए बिना ही एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विधि विरुद्ध तरीके से मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत तहसील शेरगढ़ को तहरीर जारी किये जाने का आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलांट की अनुपस्थिति में ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है तथा हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी अपीलांट को नोटिस एवं सूचना दिये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में रेस्पो. सं. 1 के कहे अनुसार विधि विरुद्ध तरीके से मौका रिपोर्ट दिनांक 01.02.2018 को तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जबकि विधि अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार करने के पहले संबंधित पक्षकारों को सूचना दी जाना कानूनन अनिवार्य है एवं सभी पक्षकारों की उपस्थिति में ही पक्षकारों के उजर ऐतराज सुनने के पश्चात ही नियमानुसार मौका रिपोर्ट तैयार की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार शेरगढ़ से मौका रिपोर्ट मंगवाई थी परंतु मौका रिपोर्ट देखने मात्र से स्पष्ट है कि तहसीलदार शेरगढ़ न तो मौके पर गए न मौका रिपोर्ट तैयार की। भू–अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी को मौका रिपोर्ट तैयार करने का कानूनी कोई अधिकार ही नहीं था उपरोक्त तथ्यों के अनुसार अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय ने दोबारा मौका रिपोर्ट मंगवाने का कोई आदेश पारित नहीं किया था उसके उपरांत भी भू–अभिलेख निरीक्षक, हल्का पटवारी ने रेस्पो. सं. 1 के कहने पर दिनांक 07.05.2018 को दोबारा मौका रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक व हल्का पटवारी से किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई थी। बिना मंगवाये मौका रिपोर्ट तैयार करने का उसका कानूनन अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने उस मौका रिपोर्ट को अभिलेख पर लेकर एवं उस पर विश्वास कर भयंकर कानूनी भूल की है इस कारण अपीलाधीन निर्णय बहाल रखे जाने योग्य नहीं होने से निरस्त करना न्यायोचित है। रेस्पो. सं. 1 को अपने खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 747 व 748 में आने जाने हेतु अन्य रास्ता आया हुआ है जिसका रेस्पो. सं. 1 पीढ़ियों से उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। अपीलांट व रेस्पो. सं. 3 के खातेदारी के खसरा नं. 746 में किसी प्रकार का कोई रास्ता कभी भी न तो था और न ही है। परंतु रेस्पो. सं. 1 उच्च पद पर पदस्थापित है व अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अवैध एवं विधि विरुद्ध तरीके से अपीलांट की ख़ातेदारी कृषि भूमि में जोर जबरदस्ती रास्ता दर्ज करवाना चाहता है। रेस्पो. सं. 1 को अपने खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अन्य रास्ता उपलब्ध है। इस कारण अपीलांट व रेस्पो. सं. 3 के खातेदारी भूमि में से रास्ता दिया जाना कतई न्यायोचित नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र में कितना फुट चौड़ा घोषित किया जाना है इसको कहीं भी वर्णित नहीं किया है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने 30 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि 30 फुट चौड़ा रास्ता खेतों में से कृषि भूमि पर आने जाने के लिये कतई घोषित किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। तथा न ही इतना चौड़ा रास्ता घोषित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो. सं. 1 की इस्तदुआ के बिना ही मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कतई न्यायोचित नहीं हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व मौका रिपोर्ट में उपरोक्त कृषि भूमि की डीएलसी दर तय नहीं की गई जबकि सर्वप्रथम डीएलसी दर तय की जाना कानूनी आवश्यक होती है। डीएलसी दर तय किये बिना ही 30 फुट रास्ता अभिलेख में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया तथा अपीलाधीन आदेश पारित कर देने के पश्चात तहसीलदार शेरगढ़ के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय के वादग्रस्त भूमि की डीएलसी दर उपपंजीयन कार्यालय से प्राप्त किये बिना ही दिनांक 30.05.2018 को उपरोक्त कृषि भूमि की डीएलसी दर घोषित करने का आदेश पारित कर दिया। उपरोक्त तथ्यों के अनुसार अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज किया जाना कानूनन न्यायोचित है।

अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना पारित किया है। अपीलांट दिनांक 09.05.2018 को न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत तेना में उक्त प्रकरण में उपस्थित हुए तो पेशकार के कहे अनुसार हस्ताक्षर किये तथा उक्त प्रकरण की आइंदा तारीख पेशी न्यायालय शेरगढ़ से पता करने को कहा गया तत्पश्चात प्रार्थी न्यायालय शेरगढ़ में उक्त प्रकरण की तारीख पेशी पता करने हेतु कई बार गया तो वहां से पेशकार द्वारा कोई संतोषप्रद जबाब नहीं मिला तथा आइंदा आने को कहा तब प्रार्थी दिनांक 10.09.2018 को पेशकार से उक्त प्रकरण की जानकारी हेतु निवेदन किया तो पेशकार ने उक्त प्रकरण का फैसला दिनांक 09.05.2018 को होना बताया तब प्रार्थी ने उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया जो नकल तैयार होकर दिनांक 10.09.2018 को प्राप्त हुई। इस तरह अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की दिनांक 10.09.2018 को प्रथम जानकारी हुई व जानकारी होने की दिनांक से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की है अतः अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करते हुए अपील अंदर मियाद शुमार करने का निवेदन किया व अपील को मैरिट पर स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 व 30.05.2018 को निरस्त किये जाने का

निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्ता भवानीसिंह भलासरिया ने बहस में कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। धारा–5 मियाद अधिनियम में वर्णित कथन विश्वसनीय नहीं हैं। अपीलांट को पूर्व में भी नोटिस जारी किये गये थे तथा कैंप के नोटिस भी जारी किये गये तथा अपीलांट स्वयं कैंप में उपस्थित हुआ तथा अपीलांट की उपस्थिति में सहमति से आदेश जारी हुआ है। अतः अपीलाधीन आदेश की भली भांति अपीलांट को जानकारी थी। अपीलांट ने रास्ते की भूमि के एवज में वांछित राशि भी दिनांक 07.09.2018 प्राप्त कर ली है। प्रकरण में दिनांक 01.02.2018 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी जिस समय रेस्पो. सं. 3 गोविंदराम मौजूद था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 को धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पारित किया था इस आदेश में केवल डीएलसी दर का हवाला नहीं था जिसे दिनांक 30.05.2018 की आदेशिका के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। जब अपीलांट दिनांक 09.05.2018 को कैंप कोर्ट में उपस्थित था तो उसे अधिवक्ता के जरिये जबाब देना चाहिये था लेकिन उन्होंने कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया बल्कि प्रकरण को सहमति से निस्तारित करवाया था। अतः अपील मियाद बाहर है एवं प्रकरण सहमति से लोक अदालत की भावना से निस्तारित किया गया है अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं हैं अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अपील देरी से पेश की गई है। अपीलांट के अधिवक्ता ने धारा–5 में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। इस प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने कोई जबाब पेश नहीं किया है न ही काउंटर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। केवल अपनी मौखिक बहस में कथन किया है कि अपील मियाद बाहर है। रेस्पों. के अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि अपीलांट स्वयं न्याय आपके द्वार कैंप में उपस्थित था अतः उसको अपीलाधीन आदेश की भली भांति जानकारी थी व प्रकरण आपसी सहमति से निस्तारण हुआ था अतः अपील मियाद बाहर है। अपीलांट के अधिवक्ता व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता की बहस पर मनन करने एवं प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात यह ज्ञात होता है कि रेस्पोडेंट की ओर से धारा–5 के प्रार्थना पत्र के खण्डन में

कोई काउंटर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण की प्रकृति का अवलोकन करने से इस प्रकरण को मैरिट पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः मियाद जैसे तकनीकी बिंदु के आधार पर प्रकरण को निस्तारित किया जाना मेरी राय में न्यायोचित नहीं होगा। अतः न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9 इस प्रकरण में अपीलांट का तर्क यह है कि अपीलांट की तामील हुए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.09.2017 को मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत तहसील शेरगढ़ को तहरीर जारी करने का आदेश पारित कर दिया जिस पर हल्का पटवारी ने अपीलांट की अनुपस्थिति में ही मौका रिपोर्ट को रेस्पो. सं. 1 के द्वारा कहे अनुसार तैयार की गई। दिनांक 09.05.2018 को अपीलांट को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उपस्थित होने बाबत ही आदेशिका में हस्ताक्षर किये तथा अधीनस्थ न्यायालय में पेशकार के कहने पर अपीलांट ने हस्ताक्षर किए फिर पेश करने को कहा कि उक्त प्रकरण की तारीख पेशी आईंदा पता कर लेवें। अपीलांट ने तो पेशकार के कहने पर एवं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत ही आदेशिका में हस्ताक्षर किये परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध तरीके एवं मनमर्जी से अपीलांट की सहमति बताते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कितना फुट चौड़ा घोषित किया जाना है इसको कहीं भी वर्णित नहीं किया है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने 30 फुट चौड़ा रास्ता घोषित किये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि 30 फुट चौड़ा रास्ता खेतों में से कृषि भूमि पर आने जाने के लिये कतई घोषित किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। तथा न ही इतना चौड़ा रास्ता घोषित किया जा सकता है। अपीलांट अधिवक्ता का एक अन्य तर्क यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व मौका रिपोर्ट में उपरोक्त कृषि भूमि की डीएलसी दर तय नहीं की गई जबकि सर्वप्रथम डीएलसी दर तय की जाना कानूनी आवश्यक होती है। डीएलसी दर तय किये बिना ही 30 फुट रास्ता अभिलेख में दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया तथा अपीलाधीन आदेश पारित कर देने के पश्चात तहसीलदार शेरगढ़ के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय के वादग्रस्त भूमि की डीएलसी दर उपपंजीयन कार्यालय से प्राप्त किये बिना ही दिनांक 30.05.2018 को उपरोक्त कृषि भूमि की डीएलसी दर घोषित करने का आदेश पारित कर दिया।

अपीलांट अधिवक्ता के उक्त तर्कों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का आद्योपांत अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में मौका रिपोर्ट के बारे यह अंकित है कि मौका रिपोर्ट एडवांस टीम से मंगाई गई व मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने से भी यह स्पष्ट है कि यह मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार नहीं की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि "*पत्रावली पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खेत में आने जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अतः दोनों पक्षकारान को सुनने के पश्चात खेत खसरा नं. 746 में से रकबा 8 बिस्वा 15 बिस्वांशी का जो ए से बी के मध्य 38 गट्ठा चौड़ाई 30 फुट आता है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार करने योग्य होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत आम रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शेरगढ़ को उक्त भूमि को आम रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार शेरगढ़ आदेश की पालना तुरंत करे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।*"

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय में रास्ते की भूमि के बदले अप्रार्थीगण को प्रतिकर की राशि दिये जाने का उल्लेख नहीं हैं और न ही राशि की दर अंकित है और राशि की गणना भी नहीं की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क के तहत प्रतिकर की राशि का निर्धारण किये बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.05.2018 को अप्रार्थीगण/अपीलांट की अनुपस्थिति में केवल आदेशिका में यह अंकित कर दिया है कि प्रकरण पेश हुआ। तहसीलदार शेरगढ़ द्वारा प्रकरण के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया। खसरा नं. 746 में से 8 बिस्वा 15 बिस्वांशी का आदेश पारित किया गया जिसमें डीएलसी दर से रु. 3160 रु. होते हैं अतः प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण को डीएलसी की दर से 3160 रु. की डी.डी. बनाकर अप्रार्थीगण को सुपूर्द करे। डी.डी. सुपूर्द करने के बाद उक्त गै.मु. रास्ता बिला नाम दर्ज करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की इस आदेशिका से यह स्पष्ट नहीं होता है कि डीएलसी की दर क्या है तथा डीएलसी की दर से गणना की गई है या डीएलसी की दुगुनी दर से गणना की गई है। आदेशिका में केवल 3160 रु. की राशि का उल्लेख कर दिया है अतः यह आदेश भी अस्पष्ट है।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण आपसी सहमति से निर्णित हुआ है परंतु अधीनस्थ न्यायालय में आपसी सहमति/राज़ीनामा संलग्न नहीं हैं। इस प्रकरण में 30 फुट चौड़ा रास्ता दिये जाने की कोई सहमति नहीं हैं तथा प्रस्तुत प्रकरण में अधिकतम चौड़ाई का 30 फुट रास्ता दिये जाने का कोई औचित्य भी अंकित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि 30 फुट चौड़ाई के लिये पक्षकारों में सहमति नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते की मुआवजा राशि की गणना किस दर से की है स्पष्ट नहीं हैं अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

10 अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2018 व 30.05.2018 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मौका निरीक्षण तहसीलदार शेरगढ़ से करवाकर 30 फुट रास्ते के बजाय मौके के अनुसार उपयुक्त चौड़ाई का रास्ता निर्धारण किया जावे। तदनुसार डीएलसी दर से दुगनी राशि के आधार पर प्रतिकर (मुआवजा) की राशि की गणना की जाकर पुनः नियमानुसार आदेश पारित किया जावे।

31/12/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/12/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर